न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री मनोज कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 03/2019

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
चुका देवी पत्नी स्व. ढगलाराम जाति कुम्हार निवासी ग्राम जसनगर तहसील रिंयाबडी जिला नागौर।		राज. सरकार जरिये तहसीलदार रिंयाबडी।

उपस्थिति :–

1. श्री भंवरलाल चौधरी अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश पूनिया, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय

दिनांक 11.01.2021

{1}–अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, (भू.अ.) रिंयाबडी द्वारा ग्राम जसनगर के नामान्तरकरण सं. 743 निर्णय दिनांक 20.05.2014 से असंतुष्ट होकर दिनांक 29.11.2018 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 17.01.2019 को मियाद का बिंदु विचाराधीन रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री ओम प्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए। अपीलांट ने अपनी अपील के समर्थन में नामान्तरकरण सं. 743 दिनांक 20.05.2014 की फोटोप्रति, ग्राम जसनगर के संवत 2073–76 की खतौनी की नकल, ग्राम जसनगर की जमाबंदी (खेवट खतौनी) संवत 2069–72 की फोटोप्रति, उपखण्ड अधिकारी रिंयाबडी को प्रस्तुत आवेदन की प्रति, तहसीलदार रिंयाबडी को प्रस्तुत आवेदन की प्रति, न्यायालय राजस्व मंडल के प्रकरण सं. 2678/2008 सरकार बनाम ढगलाराम मे निर्णय दिनांक 10.7.13 की फोटोप्रति, न्यायालय राजस्व मंडल के प्रकरण सं. 7226/2017 सरकार बनाम चुकादेवी मे फर्द अहकाम दिनांक 5.12.17 से 23.1.18 की फोटोप्रति तथा निर्णय दिनांक 25.1.18 की फोटोप्रति पेश की।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई।

2}(I)– अपीलान्ट के विद्धान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि अपीलांट को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना आदेश अन्तर्गत अपील पारित कर दिया गया। जिसकी पूर्व मे कोई जानकारी अपीलांट को नही हो पायी तथा अपीलांट द्वारा आदेश दिनांक 10.7.13 के विरूद्व माननीय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर के समक्ष चाराजोही की तथा राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर द्वारा अपीलांट के पक्ष मे दिनांक 25.1.18 को आदेश कर राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर द्वारा पूर्व मे पारित आदेश दिनांक 10.7.13 को निरस्त कर दिया तथा अपीलांट द्वारा जब उक्त आदेश की पालना हेतु दिनांक 14.11.18 को संबंधित तहसीलदार के समक्ष चाराजोही की तब अपीलांट को तहसीलदार रिंयाबडी द्वारा पारित नामान्तरकरण सं. 743 दिनांक 20.5.14 की जानकारी हुई। जिस पर उसी दिन नकल हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर उसी दिन नकल प्राप्त की तत्पश्चात अभिभाषक की राय के अनुसार आवश्यक खर्चे का बंदोबस्त कर नागौर आकर अभिभाषक से मिली। जिस पर अविलंब अपील तैयार करवायी गई एवं जानकारी से अंदर मियाद अपील प्रस्तुत की। जो जानकारी से अंदर मियाद होने से दर्ज किया जाकर मेरिट पर सुनवाई किया जाना न्यायोचित है। देरीना को माफ किया जाना न्यायोचित है। राजकीय वकील का इस संबंध मे तर्क रहा है कि अपीलांट को आदेश जैर अपील की जानकारी राजस्व मंडल मे भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 65(2) सपठित आदेश 41 नियम 21 सीपीसी एवं आदेश 9 नियम 13 सपठित धारा 151 के प्रार्थना पत्र वर्ष 2017 मे प्रस्तुत किया। तब से भी थी। मगर अपील काफी विलंब के पश्चात प्रस्तुत की गई है तथा देरी के लिये प्रत्येक दिन का हिसाब देना पडता है। देरी के बिन्दु पर अपील चलने योग्य नही है।

अपर कलक्टर, नागौर

{2}(II)–तहसीलदार रियांबडी द्वारा तस्दीक नामान्तरकरण सं. 743 दिनांक 20.5.14 विरूद्व न्याय, नियम एवं रिकार्ड होकर निरस्तनीय है।

{2}(III)–तहसीलदार रियांबडी द्वारा नामान्तरकरण सं. 743 दिनांक 20.5.14 माननीय राजस्व मंडल राजस्थान द्वारा पारित आदेश रेफरेन्स एलआरएक्ट सं. 2678/2008 बनउवानी सरकार बनाम ढगलाराम मे पारित आदेश दिनांक 10.7.13 की पालना मे दर्ज किया गया था तथा अपीलांट द्वारा उक्त आदेश के विरूद्व पुनः माननीय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र एल. आर. एक्ट सं. 7226/2017 बउनवानी सरकार बनाम चुका देवी प्रस्तुत किया था। जिसे माननीय राजस्व मंडल राजस्थान द्वारा दिनांक 25.01.18 को स्वीकार किया जाकर माननीय राजस्व मंडल राजस्थान द्वारा पूर्व मे पारित आदेश दिनांक 10.7.13 को निरस्त किया जा चुका है। इस कारण वर्तमान मे राजस्व मंडल द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.7.13 प्रभाव मे नही होने के कारण उक्त आदेश की पालना मे तस्दीक किया गया नामान्तरकरण सं. 743 दिनांक 20.5.14 को निरस्त किया जाकर विवादित आराजीयात बाबत अपीलांट की खातेदारी को पुनः दर्ज किया जाना न्यायोचित है।

{2}(IV)–अपीलांट के पति ढगलाराम पुत्र गणेशराम जाति कुम्हार को ग्राम जसनगर तहसील रियांबडी जिला नागौर मे अवस्थित खसरा नं. 203 मे से रकबा 12 बीघा 7 बिस्वा भूमि गै.मु. बारानी कृषि प्रयोजनार्थ दिनांक 11.1.78 को आवंटन की गयी थी। तब से अपीलांट के पति उक्त आराजीयात पर मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे है तथा उक्त आवंटन आदेश दिनांक 11.1.78 की पालना मे अपीलांट के पति ढगलाराम पुत्र गणेशराम के पक्ष मे खसरा नं. 203 रकबा 12 बीघा 17 बिस्वा का नामान्तरकरण सं. 934 स्वीकृत किया गया था तथा अपीलांट के पति ढगलाराम पुत्र गणेशराम उक्त आराजीयात पर बतौर खातेदार एवं काश्तकार के रूप मे मौके पर काबिज काश्त चले आ रहे थे तथा अपीलांट के पति की मृत्यु के पश्चात उक्त आराजीयात का विरासती नामान्तरकरण सं. 716 दिनांक 5.9.13 के द्वारा अपीलांट के नाम तस्दीक कर दिया गया था तथा उक्त दिनांक से अपीलांट उक्त आराजीयात पर बतौर रिकार्डेड खातेदार काश्तकार के रूप मे काबिज काश्त चली आ रही है तथा उक्त आराजीयात बाबत तहसीदार द्वारा न्यायालय हाजा मे रेफरेन्स बनाकर प्रस्तुत किया। जिस पर न्यायालय हाजा द्वारा सुनवाई की जाकर अपने आदेश दिनांक 13.2.08 के माध्यम से उक्त आराजीयात बाबत माननीय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर को रेफरेन्स हेतु प्रस्तुत किया। उक्त आदेश के प्रकाश मे माननीय मंडल द्वारा रेफरेन्स प्रार्थना पत्र एल आर एक्ट सं. 2678/2008 बउनवानी सरकार बनाम ढगलाराम के नाम से दर्ज किया जाकर अपने आदेश दिनांक 10.7.13 द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स को स्वीकार किया जाकर विवादित आराजीयात को सरकारी सिवायचक दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान कर दिया गया तथा अपीलांट द्वारा उक्त आदेश दिनांक 10.7.13 के विरूद्व पुनः राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र सं. 7226/17 बउनवानी सरकार बनाम चुकादेवी प्रस्तुत किया। माननीय राजस्व मंडल राजस्थान द्वारा दिनांक 25.1.18 को स्वीकार किया जाकर पूर्व मे माननीय राजस्व मंडल राजस्थान द्वारा दिनांक 10.7.13 को किये गये आदेश को निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान कर दिया गया तथा माननीय मंडल द्वारा पूर्व आदेश दिनांक 10.7.13 की पालना मे विवादित आराजीयात खसरा सं. पुराने 203 नये 497 बाबत तहसीलदार रियांबडी द्वारा नामान्तरकरण सं. 743 दिनांक 20.5.14 को तस्दीक किया जाकर उक्त विवादित आराजीयात को सरकारी सिवायचक दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान कर दिये तथा वर्तमान मे मंडल द्वारा प्रदान आदेश दिनांक 10.7.13 अस्तित्व मे नही होने के कारण नामान्तरकरण सं. 743 दिनांक 20.5.14 निरस्तनीय है।

{2}(V)–तहसीलदार रियांबडी द्वारा अपीलांट की विवादित आराजीयात बाबत तस्दीक किये गये नामान्तरकरण सं. 743 दिनांक 20.5.14 राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.7.13 की पालना मे तस्दीक किया गया था तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के द्वारा पुनः राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.1.18 द्वारा उक्त आदेश दिनांक 10.7.13 को निरस्त कर दिया गया है। इस प्रकार से धारा 144 सीपीसी के अनुसार नामान्तरकरण सं. 743 दिनांक 20.5.14 को निरस्त किया जाकर अपीलांट की खातेदारी को पुनः स्थापित किये जाने का आदेश प्रदान किया जाना न्यायोचित है तथा अपने कथन के समर्थन मे आरआरटी 2003(1) पेज 260 से 265, पेज 714 से 718, आरआरटी 2012(2) पेज 1233 से 1235 तथा पेज 963 से 967 नजीरे पेश की।

अपर कलक्टर, नागौर

{3}–राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस शुरू करते हुए तर्क दिया गया कि नामान्तरकरण सं. 743 दिनांक 20.05.2014 माननीय न्यायालय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर के आदेश की अनुपालना मे भरा गया है। जो विधिसम्मत है।

{4}–उभय पक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में मौजा जसनगर के नामान्तरकरण सं. 743 दिनांक 20.05.14 की स्वीकृति से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। प्रकरण मे माननीय न्यायालय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर द्वारा रेफरेन्स सं. एलआर 2678/08 सरकार बनाम ढगलाराम मे पारित निर्णय दिनांक 10.07.13 की पालना मे नामान्तरकरण जैर अपील स्वीकार किया गया है। नामान्तरकरण जैर अपील न्यायिक आदेश की पालना मे भरा गया है जिसमे कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नही होती है। ऐसी स्थिति मे आदेश जैर अपील मे कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार योग्य नही होने से खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील यथावत कायम रखा जाता है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
आर.कलक्टर, नागौर